

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी-15/2017 दिनांक : 16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक : 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थिया ज्योति कुमारी एवं अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं : 15203/2022 ज्योति कुमारी एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या : 15203/2022 ज्योति कुमारी एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक : 17.10.2022 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या : 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक : 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 में आदेशित किया है "of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी में याचिकार्थी ज्योति कुमारी एवं अन्य प्राध्यापक हिन्दी है। ज्योति कुमारी एवं अन्य के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक : 16.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	ज्योति कुमारी	08.07.1984	3140	05.11.2018	14.11.2018
2.	पार्वती माली	15.03.1981	3091	05.11.2018	12.11.2018
3.	सुनिता गुप्ता	27.08.1984	3047	27.10.2018	31.10.2018
4.	सीमा गौतम	05.07.1982	2805	05.11.2018	12.11.2018
5.	सुदेश	14.04.1987	2846	27.10.2018	31.10.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक हिन्दी विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक : 16.06.2017 में कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता मीणा मेरिट क्रमांक 3163 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुनीता मीणा द्वारा दिनांक : 19.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.07 12:03:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4564082



उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं : 15203/2022 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक : 17.10.2022 का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थान राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुनीता मीणा (मेरिट क्रमांक 3163) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक : 16.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता मीणा द्वारा दिनांक : 19.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

सुनीता मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक: 19.06.2019 से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/नोशनल/या.सं.-15203 ज्योति कुमारी एवं अन्य 2022 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर/जयपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.09.07 12:03:11 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4564082





Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.07 12:03:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4564082



कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी-15/2017 दिनांक : 16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक : 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थिया रेखा जैन एवं अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं : 3900/2023 रेखा जैन एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या : 3900/2023 रेखा जैन एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक : 29.03.2023 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या : 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक : 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 में आदेशित किया है "of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकाधी में याचिकाधी रेखा जैन एवं सरोज कुमारी प्राध्यापक हिन्दी है। रेखा जैन एवं सरोज कुमारी के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक : 16.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	रेखा जैन	27.07.1982	2727	24.08.2018	28.08.2018
2.	सरोज कुमारी	04.10.2018	2006	04.10.2018	06.10.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक हिन्दी विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक : 16.06.2017 में कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता मीणा मेरिट क्रमांक 3163 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुनीता मीणा द्वारा दिनांक : 19.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं : 3900/2023 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक : 29.03.2023 का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थान राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों के पदस्थान पर सुनीता मीणा (मेरिट क्रमांक 3163) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक : 16.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता मीणा द्वारा दिनांक : 19.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया। सुनीता मीणा को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही दिये जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Kanishk Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.07 12:29:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4572827



सुनीता मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक :19.06.2019 से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/नोशनल/या.स.-3900 रेखा जैन एवं अन्य 2023 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर/जयपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.07 12:29:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4572827



कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी-15/2017 दिनांक : 16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक : 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थिया प्रियंका मीणा एवं अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं : 10281/2022 प्रियंका मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या : 10281/2022 प्रियंका मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक : 25.07.2022 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या : 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक : 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 में आदेशित किया है "of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी में याचिकार्थी प्रियंका मीणा एवं मनोज कुमार मीणा प्राध्यापक हिन्दी है। प्रियंका मीणा एवं मनोज कुमार मीणा के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक : 16.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	प्रियंका मीणा	02.08.1987	2788	24.08.2018	27.08.2018
2.	मनोज मीणा	05.07.1989	2825	28.08.2018	30.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक हिन्दी विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक : 16.06.2017 में कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता मीणा मेरिट क्रमांक 3163 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुनीता मीणा द्वारा दिनांक : 19.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं : 10281/2022 प्रियंका मीणा एवं अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक : 25.07.2022 का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थान राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त सुनीता मीणा के कनिष्ठ वरीयताधारी सुनीता मीणा (मेरिट क्रमांक 3163) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक : 16.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता मीणा द्वारा कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ प्रदान करने देय है।

Signature valid

Digitally signed by Kanak Ram

Designation: Director

Date: 2023.09.07 12:27:13 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4585971



सुनीता मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक :19.06.2019 से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड—पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/नोशनल/या.स.-10281 प्रियंका मीणा 2022

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर/जयपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.07 12:27:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4585971

